परिमार्जन

(डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु पोर्टल)

बिहार राज्य के सभी रैयतों/आम जनता को सूचित किया जाता है कि राज्य के सभी 534 अंचलों के लगभग 3.65 करोड़ जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर विभाग के पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर सार्वजनिक कर दिया गया है| कोई भी रैयत दुनिया के किसी भी कोने से अपनी जमाबंदी का अवलोकन कर सकते है| विभाग में प्राप्त शिकायतों/परिवाद पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि डिजिटाइजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदियों के रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में अशुद्धियाँ रह गयी है, तथा अनेक जमाबंदियों में खाता-खेसरा से सम्बंधित विवरणी उपलब्ध नहीं है| अंचल स्तर पर रैयतों की शिकायतों के आलोक में अंचलाधिकारियों द्वारा विभागीय पत्र-339(8) दिनांक-10/06/2019 एवं पत्र-756(8) दिनांक-28/10/2019 के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर जांचोपरांत सुधार किया जा रहा है|

इस कार्य को गति प्रदान करने एवं रैयतों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा परिमार्जन (डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु पोर्टल) नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है| इस पोर्टल के माध्यम से रैयत डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं| शिकायतों के तथ्यों का सरकारी अभिलेखों से मिलान तथा सम्पूर्ण जांचोपरांत ही अंचल कार्यालय द्वारा जमाबंदियों में सुधार किया जा सकेगा| शिकायत करने से संबंधित दिशा-निर्देश (Instruction to file grivance) लिंक में दी गई है| त्रुटि परिमार्जन का प्रकार एवं परिमार्जन हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित है:

त्रुटि परिमार्जन का प्रकार	वांछित कागजात	सम्बंधित विभागीय पत्र
1. ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज के पूर्व की जमाबंदियों में सुधार हेतु		**विभागीय पत्र-339(8) दिनांक-10/06/2019 (www.lrc.bih.nic.in पर उपलब्ध)**
a) डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार b) डिजिटाइज्ड जमाबंदी में प्रविष्ट खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में सुधार c) लगान की राशि एवं तत्संबंधी प्रविष्टि में सुधार d) कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजीटाईजेसन	i. विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र ii. दाखिल-ख़ारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति iii. शुद्धि-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति iv. भू-लगान रसीद की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति v. रिविजनल/ कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति vi. विहित प्रपत्र में स्वघोषणा	
2. ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार हेतु		
a) क्रेता/ विक्रेता/जमाबंदी रैयत/खतियानी रैयत आदि के नाम के परिलक्षित त्रुटि/ लोप से संबंधित त्रुटियों का सुधार b) लगान राशि एवं चौहद्दी से संबंधित त्रुटियों का सुधार	I. विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र II. ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज हेतु समर्पित दस्तावेज III. दाखिल-ख़ारिज में पारित आदेश की छायाप्रति IV. शुद्धि पत्र की छाया प्रति	**विभागीय पत्र-756(8) दिनांक-28/10/2019 (www.lrc.bih.nic.in पर उपलब्ध)**
3. ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज वादों के निष्पादन के उपरांतखाता/खेसरा/रकबा से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार		
ऐसी स्थिति में आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष अपील दायर करना होगा| भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश के उपरांत अंचल अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवेदन सुधार के बाद नए सिरे से दाखिल ख़ारिज की प्रक्रिया का निष्पादन किया जायेगा|		

बिहार के जमाबंदी रैयतों के डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

1. http://www.biharbhumi.bihar.gov.in/parimarjan/ को खोलें|
2. "अपनी शिकायत पोस्ट करे" पर क्लिक करें|
3. अपना व्यग्तिगत विवरण यथा नाम, इमेल, मोबाइल न० इत्यादि भरें| "Send OTP" बटन पर क्लिक करें|
4. दिए गए मोबाइल न० पर प्राप्त OTP को भर कर verify OPT बटन को प्रेस करे| तदोपरान्त पत्राचार का पता भरें |
5. "भू-विवरणी" सेक्सन में आप जमाबंदी जिससे सम्बन्धी शिकायत करनी है उसका विवरण भरें|
6. "परिवाद का विवरण" सेक्सन में आप सम्बंधित शिकायत के विषय को चुनें|
7. शिकायत के विषय से संबंधित विहित प्रपत्र में आप अपनी जमाबंदी का सही विवरणी भरें तथा सुझाये गए आवश्यक कागजात में से उपलब्ध दस्तावेज को सलग्न कर, सभी दस्तावेजों का एक पीडीऍफ़ बनाये तथा "Choose Document" से उसे अपलोड करें |
8. सभी सूचनाएँ भरने के बाद आप Submit बटन पर क्लिक करें|
9. आपकी शिकायत दर्ज हो जायेगी तथा आपको एक Acknowledgement No प्राप्त होगा|
10. आप "Track your Grievance" मेनू से अपने शिकायत की स्थिति जान सकते हैं|